न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 11/2012,(जी.सी.एम.एस. न. 2012/00335) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. टुण्डी पुत्र सुन्दरलाल (मृतक)
1/1. लक्ष्मन पुत्र टुण्डी
1/2. दिनेश पुत्र टुण्डी
1/3. चरन सिंह पुत्र टुण्डी
1/4. प्रेम पत्नी टुण्डी
1/5. श्यामा पुत्री टुण्डी
1/6. महादेई पुत्री टुण्डी
2. गुपली पुत्र सुन्दरपाल (मृतक)
2/1. दुर्गपाल पुत्र गुपली
2/2. निरंज पुत्र गुपली
2/3. रमेश पुत्र गुपली
2/4. भग्गो पुत्री गुपली
3. बुद्धो वेवा वासू
4. विजेन्द्र पुत्र वासू
5. राजेन्द्र पुत्र वासू
6. पूरन पुत्र वासू
7. टीकम पुत्र वासू
8. खम्मन दत्तक पुत्र श्रीया

जातियान जादों ठाकुर नि0 खेरिया पुरोहित तहसील डीग

—वादीगण

बनाम

1. छिद्वी पुत्र किशोरीलाल
2. भिक्की पुत्र किशोरीलाल
3. मदन पुत्र किशोरीलाल

जातियान जादों ठाकुर नि0 खेरिया पुरोहित तहसील डीग

4. प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा डीग
5. तहसीलदार तहसील डीग

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक: 30.07.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 665/1–7, 666/4–2, से नवीन खसरा नम्बरान 727/0.35, 728/0.31, वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग में स्थित है। आराजी साविक ख0नम्बर 665/1–7 मौके पर 2–05 का है जो वादीगण के पूर्वक सुन्दरलाल की कब्जे खातेदारी की आराजी है जिस पर सुन्दरपाल अपने जीवनकाल में वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे और उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसान वादीगण खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। दौराने बन्दोवस्त साविक आराजी खसरा नम्बर 665 व 666 से नवीन नम्बरान 727/0.35 व 728/0.31 सैटिलमेंट विभाग ने हाल राजस्व रिकार्ड में दिखाया जाकर नवीन आराजी खसरा नम्बर 727/0.35 व 728/0.31 बनना प्रदर्शित मुताविक क्षेत्रफल किया है इस प्रकार उक्त नवीन आराजी खसरा नम्बरान के हिस्सा 1/2 में हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 01 व हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 02 व हिस्सा 1/4 पर वादीगण संख्या 03 लगायत 07 व हिस्सा बरावर व हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 08 वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। मौके व कब्जा साविक आराजी खसरा नम्बर 665 के साथ साथ 665 के साथ 666 और शरीक करते हुए जो नवीन खसरा नम्बर 727/0.35, 728/0.31 बनना दिखाया गया है उसमें वादीगण के स्थान पर प्रति0 संख्या 01 लगायत 03 हिस्सा 1/2 पर खिलाफ मौका व कब्जा दर्ज कर दिया गया है। जबकि साविक ख0 नम्बर 665 से प्रति0का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है।

अतः निवेदन है कि आ. खसरा नम्बरान 727/0.35, 728/0.31, वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग के हिस्सा 1/2 के हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 01 व हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 02 व हिस्सा 1/4 पर वादीगण संख्या 03 लगायत 07 व हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 08 वाहैसियत खातेदार काबिज है को खातेदार घोषित किया जाकर प्रति0 के नाम को कलमजन किये जाने तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.02.2012 को प्रति0 संख्या 01 लगायत 03 वावजूद इत्तला/तामील के उपस्थित अदालत नहीं होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 09.02.2017 को प्रति0 संख्या 05/तहसीलदार द्वारा कई अवसर दिये जाने के उपरांत जबाव पेश नहीं किये जाने से जबाव बन्द किया गया।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर दिनांक 06.03.2017को निम्नांनुसार तनकी कायम की गईः–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।
2. आया वादीगण विवादित आराजी बावत प्रति0 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
3. दादरसी।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः तनकी कायमी के उपरांत दावे में साक्ष्य वादीगण पूर्ण होने के पश्चात प्रकरण में वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।चूँकि प्रति0 01 लगायत 03 की दिनांक 14.02.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही हुई।

बहस के दौरान वकील वादीगण ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आ. खसरा नम्बरान 727/0.35, 728/0.31, वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग के हिस्सा 1/2 के हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 01 व हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 02 व हिस्सा 1/4 पर वादीगण संख्या 03 लगायत 07 व हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 08 वाहैसियत खातेदार काबिज है को खातेदार घोषित किया जाकर प्रति0 के नाम दर्ज इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

वर्णित आराजीयात पर मौके पर पूर्व से ही वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वकील वादीगण ने सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड/कानूनी द्रष्टांतों के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में नकल जमाबन्दी सम्बत 2063—2070, नकल जमाबन्दी सम्बत 2030—2033, नकल जमाबन्दी सम्बत 2020—2023 तथा भू—प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल पेश किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया।

तनकीनुसार दावा का निर्णय निम्नांनुसार हैः—

तनकी संख्याः—1, विवादित वर्णित आराजी के आ. खसरा नम्बरान 727/0.35, 728/0.31, वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग के हिस्सा 1/2 के हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 01 वहिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 02 वहिस्सा 1/4 पर वादीगण संख्या 03 लगायत 07 व हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 08 वाहैसियत खातेदार काबिज होने की बावत अपने दावे में वर्णित किया गया है तथा बहस के दौरान भी वादीगण के विद्वान वकील ने दावे के तथ्यों को दौहराया गया। परन्तु दावे की पुष्टि हेतु समुचित राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया गया। अतः तनकी संख्या 1, वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या—2, विवादित आराजी के सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा प्रति0 को पावंद किये जाने बावत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 को भी वादीगण के विरूद्व किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, बयानात, कानूनी द्वष्टांत के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट, को राजस्व रिकार्ड के अभाव में अस्वीकार किया किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित नहीं होने व मैण्टेनेबिल नहीं होने से तथा राजस्व रिकार्ड के अभाव में **अस्वीकार/खारिज** किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner